

ई-मेल / पंजीकृत

कार्यालय परिवहन आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश।

संख्या-90सा0प्र0 / 2017-टी-68टीआर / 2010,

लखनऊ : दिनांक 02 फरवरी, 2017

सेवा में,

- 1- अपर परिवहन आयुक्त(पूर्वी / मध्य / पश्चिमी),  
मुख्यालय-लखनऊ / कानपुर / मेरठ।
- 2- समस्त उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी  
(प्रशासन / प्रवर्तन), उत्तर प्रदेश।
- 6- समस्त यात्रीकर अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

Subject: Amendment of rule 32 and rule 81 of Central Motor Vehicles Rules, 1989 vide  
G.S.R. 1183 (E) dated 29<sup>th</sup> December, 2016 – Guidelines thereof.

महोदय,

आप अवगत हैं कि केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-9, नियम-14, नियम-32 एवं नियम-81 में संशोधन संबंधी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-सा.का.नि.1183(अ), दिनांक 29.12.2016, जिसकी प्रति आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या-17सा0प्र0 / 2017-टी-68टीआर / 2010 द्वारा प्रेषित की गयी है।

उक्त के क्रम में यह अवगत कराना है कि विषयगत अधिसूचना दिनांक 29.12.2016 के संदर्भ में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपर्युक्त विषयक पत्र संख्या-आरटी-11017 / 12 / 2013-एमवीएल, दिनांक 02.02.2017 प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त अधिसूचना दिनांक 29.12.2016 द्वारा विलम्ब शुल्क के संबंध में जारी संशोधित दरें, नई दर से अधिसूचना जारी होने के दिनांक 29.12.2016 से चार्ज की जायेगी न कि पूर्वव्यापी (retrospectively) तिथि से।

तदनुसार उक्त पत्र दिनांक 02.02.2017 की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीया,

( इन्दिरा सिंह )

सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन),  
उत्तर प्रदेश।

पू0सं0-90(1)सा0प्र0 / 2017-समदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उक्त पत्र दिनांक 02.02.2017 की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त अधिकारी (परिवहन आयुक्त महोदय को छोड़कर), मुख्यालय।
- 2- वरिष्ठ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित कि पत्र में उल्लिखित संशोधित धनराशि के अनुसार कम्प्यूटर साफ्टवेयर में संशोधन कराने का कष्ट करें।

- 3- श्री विनीत\_त्रिपाठी, डी0बी0ए0 (NIELIT से आउट सोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया संलग्न पत्र दिनांक 02.02.2017 को वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 4- वैयक्तिक सहायक, परिवहन आयुक्त कैम्प कार्यालय।
- 5- गार्ड फाइल।

giga  
22/17

( इन्दिरा सिंह )

सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन),  
उत्तर प्रदेश।



भारत सरकार  
 Government of India  
 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  
 Ministry of Road Transport & Highways



Dated: New Delhi-110001

2<sup>nd</sup> February, 2017  
 RT-11017/12/2013-MVL

To,  
 The Principal Secretaries (Transport)/The Secretaries (Transport)/The Transport Commissioners of all the States/UT Administrations

Subject: Amendment of rule 32 and rule 81 of Central Motor Vehicles Rules, 1989 vide G.S.R. 1183 (E) dated 29<sup>th</sup> December, 2016 – Guidelines thereof.

Sir / Madam,

Please refer to this Ministry's notification G.S.R 1183(E) dated 29<sup>th</sup> December, 2016, amending rule 32 and rule 81 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989.

2. It is clarified that the revised rates for Delay fees can be charged at the new rates from the date of publication of the notification i.e. 29<sup>th</sup> December, 2016 and not retrospectively.

MTC(A)

2.2.17

1- 17/1/17  
 AC TR 2-2/17  
 Singh  
 2-2-17  
 17/1/17  
 Singh  
 2-2-17

Yours faithfully,

(Abhay Damle)

Joint Secretary to Government of India

Tele: 011-23719209

E-mail: [abhay.damle@gov.in](mailto:abhay.damle@gov.in)

Copy to-  
 1. DDG, NIC